THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): Okay, thank you.

Now we take up the Half-an-Hour Discussion. Shri Maheshwar Singh.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On Points Arising out of the Answer Given in the Rajya Sabha on the 11th July, 1996 to Unstarred Question 64 Regarding Great National Himalayan Park in Kullu

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कुल्लू में ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क के सम्बन्ध में 11 जुलाई, 1996 को इस माननीय सदन में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-64 के दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, कुल्लू जिला के दुर्गम क्षेत्र सैंज घाटी और तीर्थन घाटी को मिला कर नेशनल पार्क बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि यहां पर 300 से अधिक वन्य पक्षियों की जातियां और लगभग 30 वन्य पशुओं जातियों की आबादी उपलब्ध है।

इस संदर्भ में प्रथम नोटिफिकेशन 1972 में हुआ। तत्पश्चात् 1-3-84 को पुनः एक नोटिफिकेशन हुआ जिसमें सैंज घाटी और तीर्थन घाटी का सारा क्षेत्र लिया गया। उसमें क्षेत्रफल अंकित नहीं था लेकिन यह स्पष्ट था कि इस पार्क में चार गांव होंगे जिनके नाम—कुंडर, मझारा, शाक्टी और मुरोड़। इसके बाद 30-7-90 को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें इसका सारा क्षेत्रफल 620 किलोमीटर बताया गया। अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि फिर 22-2-94 को पुनः नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 765 किलोमीटर कर दिया गया। लेकिन जो पहले चार गांव इस नोटिफिकेशन में थे उसमें से दो गांव शाक्टी और मुरोड़ निकाले गए। इसके अतिरिक्त पार्वती घाटी का एरिया इसमें डाला गया और जो दो गांव निकाले गए उसके क्षेत्रफल को एक सैंज के नाम से सेंच्यूअरि बनाया गया। आज इस पार्क के नोटिफिकेशन को हुए बारह वर्ष बीत गए लेकिन मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि नोटिफिकेशन के सिवाय इस ओर और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि इस प्रोजेक्ट में जितने वित्तीय संसाधन है वह वर्ल्ड बैंक के ए०डी०ओ० प्रोजेक्ट से है। इन नोटिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं मिला और दूसरे, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि पहले आपने चार गांव के लिए नोटिफिकेशन की और अब अगर दो गांव निकाल भी देंगे तो वह एरिया तो सारा पार्क का रहेगा और फिर वहां के लोग अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे। चारों तरफ जंगली जानवर और उसके बीच में वह कैसे रह सकते हैं, यह मेरी समझ से बाहर है।

महोदय, इस समस्या को लेकर उस ग्रामीण क्षेत्र के लोग 18.7.95 को यहां पूर्व मंत्री से भी मिले लेकिन आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला और मैं आठ-नौ बार इस संबंध में प्रश्न पूछ चुका हूं पर एक ही जवाब मिलता है कि गांव के रीहैबिलिटेशन के बारे में तो हिमाचल सरकार ने निर्णय लेना है। वह वे निर्णय लेंगे तब हम आगे कार्यवाही करेंगे। जब भी पार्क बनते हैं, जिस क्षेत्र में विकास होता है, वहां स्थानीय लोगों को कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है जिसके लिए वे तैयार रहते हैं लेकिन बदले में उनको कम्पनसेट करना जरूरी है जैसे विस्थापितों को बसाना। 1984 के नोटिफिकेशन के मुताबिक आपने चार गांवों को नोटिफाई किया। इनकी कुल आबादी कितनी है? केवल दो सौ। इन चार छोटे-छोटे गांवों की कुल संख्या दो सौ त्र शक्ति मरौर में सिर्फ 19 परिवार और 54 बीघे और 4 बिस्वा ज़मीन है। कुन्डर माझन में 33 परिवार है, 88 बीघे और 19 बिस्वा जमीन है।

1984 में ही ए०डी०एम० कुल्लू को कलैक्टर फोरेस्ट का दर्जा दिया गया। उनको कहा गया कि इनके रीहैबिलिटेशन के केस आप सेटल करेंगे और मुझ द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 दिनांक 2 अगस्त, 96 को आपने माना है कि कुल मिला कर 20.10 लाख रुपया हिमाचल सरकार को इसलिए दिया गया कि इन गांवों के लोगों को रीहैबिलिटेट किया जाए। जगह का आईडेंटिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी भी हिमाचल सरकार इस पैसे को खर्च नहीं कर सकी। यह पैसा ज्यों का त्यों पड़ा है। लोगों की समस्याएं बड़ी है लेकिन लोगों को रीहैबिलिटेट करने की तरफ हिमाचल सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया जबकि लोगों ने अपनी सहमति तक उस जगह के लिए दे दी थी। मजबूर हो कर आप कहेंगे कि शाक्टी मरोड़ के लोग अब वहां से उठना नहीं चाहते, उन उनकी मजबूरी है क्योंकि बदले में आपने उनको कुछ नहीं दिया। 10-12 वर्षों से केवल यह प्रावधान करके पैसा छोड़ दिया।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में आपने 9 अगस्त, 95 को एक बात कही है, उसकी तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा कि "ग" भाग में आप कहते हैं—"इस

कार्य को पूरा करने के लिए हिमाचल सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है।" अर्थात उनकी मरज़ी है, जब मरज़ी हो तब वे खर्च करें या न करें।

अब आपने पार्वती घाटी का ऐरिया भी इस पार्क में डाल दिया और समस्याएं पैदा कर दीं। इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वहां पार्क बने क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो पहले विस्थापितों को बसाने का फैसला करना चाहिए। उसमें एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दूसरी समस्या जो उत्पन्न होती है वह लोगों के अधिकारों के बारे में है जैसे भेड़-बकरियों के चरागाह, इमारती लकड़ी निकालने के, जड़ी-बूटियां खोजने के अधिकार हैं और उनकी जो ज़मीनें चली जाएंगी, उसके लिए उन्हें कम्पनसेट किया जाए। इस ओर भी सर्वेक्षण के अलावा कुछ नहीं हुआ। इतना समय बीत गया लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला और फलस्वरूप आज लोग इस पार्क का विरोध करने लगे हैं। यहां पर अधिकार केवल उन्हीं लोगों के नहीं हैं जो उस पार्टी में बसे हुए हैं, उन लोगों के भी हैं जो गरमी के मौसम में दूसरे ज़िलों से, मंडी ज़िले से, शिमला के साथ जो ज़िला लगता है जो करसोग क्षेत्र कहलाता है, वहां के चरवाहे भेड़-बकरियां लेकर इन जंगलों में जाते हैं जहां 75 ऐसी चरागाहें हैं। अब उनके अधिकार समाप्त होंगे तो वे बदले में नौकरियां चाहते हैं। उनको नौकरी देना तो छोड़ दीजिए लेकिन जो चार गांव विस्थापित हो रहे हैं जहां केवल एक मैट्रिकुलेट है, उसको भी आज तक रोज़गार नहीं मिल सका है। लोग कोई स्थायी रोज़गार नहीं मांग रहे हैं। वे कहते हैं कि कम से कम अस्थायी रोज़गार तो हमें दे दो। 27 लोग जो वहां पर लगाए गए हैं, इनमें से मात्र एक व्यक्ति इस नेशनल पार्क ऐरिया का है, बाकी सब बाहर से लगाए गए हैं। अब इस प्रकार से आप करेंगे तो लोगों का कोऑपरेशन कहां से मिलेगा?

फिर एक समस्या और पैदा होती है कि आपने नोटिफिकेशन तो कर दिया। अब उस नोटिफिकेशन के बाद वहां कोई जंगली जानवर को मार नहीं सकता है क्योंकि वह पार्क ऐरिया है और दूसरे लोगों का नुकसान हो रहा है, उसका उनको मुआवज़ा भी नहीं दिया जाता है। मैं यहां आपको यह बतलाना चाहूंगा कि गत वर्ष जंगली जानवरों ने 36 पशु इस क्षेत्र में मारे हैं। 6-00 P.M.

उसमें थोड़ा मुआवजा देकर उनको विदा कर दिया गया। इस वर्ष भी 14 पशु मारे गये, वहां पर भालू ने आतंक फैलाया हुआ है लेकिन वन विभाग उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। कोई कंपनसेशन इन 14 पशुओं का उन्हें नहीं मिला है। हिमाचल सकार ने अनेकों बार आपको एक बात लिखी थी कि तेंदुओं ने हर जगह पर आतंक फैलाया हुआ है। उसको मारने की अनुमति मांगी है। आप क्या जवाब देते है कि मारने की अनुमति तो नहीं दी जाती, और कोई उपाय सोचिए। क्या उपाय है? क्या खुद मर जाएं? वह हमको मारकर खाते रहें और हम उपाय सोचते रहे। आप कोई सीधा-सीधा जवाब नहीं देते कि उन तेंदुओं का क्या किया जाए, जो आदमखोर हो गये हैं। इसी प्रकार समाचार पत्रों में भेड़िए को लेकर कई बार पढ़ने को मिलता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या उस मांव के सीधे-सादे लोग आत्मसमर्पण कर दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जी का जवाब भी आप सुनेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। इसीलिए तो प्रश्न उठाया है। महोदय, मैंने जो मूल मुद्दा उठाया है वह यह है कि आपका नेशनल पार्क का जो कार्यालय है, वह कम से कम पार्क के क्षेत्र में तो हो। वह पार्क के क्षेत्र में नहीं है, 85 किलोमीटर बाहर कुल्लू शहर के पास है। महोदय, मैं यह बात आज नहीं उठा रहा हूं, 1992 से लगातार उठा रहा हूं। जब मंत्री जी को लिखा तो मंत्री जी का जवाब मिला कि यह इसलिए है क्योंकि पार्क क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। महोदय, नेशनल हाइवे के 2 किलोमीटर पर लार्जी है जो कि केन्द्र बनता है, जहां से इस पार्क के कार्यक्षेत्र को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। वहां पर डिसपेंसरी है, हाई स्कूल है, तहसील हैडक्वार्टर है, बंजार में सब डिविज़नल हैडक्वार्टर है। कौन-सी मूलभूत सुविधा आपको चाहिए? हां, यह जरूर है कि वहां पर सिनेमा हॉल नहीं है या क्लब नहीं है लेकिन बाकी जो मूलभूत सुविधाओं की बात कही है, वह सब है लेकिन यह नहीं हुआ। उसके बाद यहां से इकोलॉजीकल सैंटर सैक्शन हुआ। उस समय मैंने फिर सुझाव दिया कि समसी में यह बिल्डिंग बन गयी है, भले ही वह भी केन्द्र का है, यह भी केन्द्र का है, वहां पर आप इकोलॉजीकल सैंटर रख लीजिए और इस पार्क के कार्यालय को पार्क एरिया से बनाइए। यह भी आज तक नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप लोगों के जो अधिकार समाप्त हुए हैं, न तो उको कंपनसेट किया गया और न जो गांव विसथापित हुए है, उनकी समस्या का समाधान किया गया। महोदय, मैं तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो मंत्री जी आज भी यह निर्णय ले लीजिए, अगर सचमुच आप ईमानदारी से

वहां पार्क बनाना चाहते हैं तो इसका कार्यालय पार्क क्षेत्र में ही होना चाहिए, किसी केन्द्रीय स्थान पर होना चाहिए। जो चार गांवों की बात कही गयी है, वह तब वहां से उठेंगे अगर उनके अधिकारों की रक्षा आप करेंगे, उनको कोई जगह देंगे, उनको बसाएंगे, उनको कंपनसेट करेंगे। इसके अतिरिक्त वहां रोजगार की समस्या रहेगी क्योंकि जब भेड़-बकरी का पालन करना मुश्किल हो जाएगा, जब जड़ी-बूटी खोदने के अधिकार जाएंगे तो उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना आवश्यक है। इसलिए उनको शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने का भी प्रबंध करें। एक बात यह कहना चाहूंगा कि जब तक केन्द्र से आप इसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब तक हिमाचल सरकार मनमाने ढंग से काम करेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कि कम से कम एक बार आप स्वयं वहां पधारें, अपनी अध्यक्षता से मीटिंग करिए, वहां के सारे प्रतिनिधियों को बुलाइए, हिमाचल सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाइए और सांसदों को बुलाइए ताकि बैठकर निर्णय हो जाए कि किस प्रकार से इस पार्क का काम करना है। इसके अतिरिक्त में यह भी सुझाव दूंगा कि हमेशा यहां से कोई न कोई अधिकारी वहां जाए, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर समय-समय पर इसकी मॉनीटरिंग करे तभी यह पैसा खर्च होगा, नहीं तो आज 12 वर्ष बीत गये हैं, पैसा अब तक बैंक में पड़ा हुआ है, वह भी खर्च नहीं होता और हिमाचल सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी विस्तृत उत्तर देंगे।

श्री शिवचरण सिंह: महोदय, मैं असोसिएट करता हुआ...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मंत्री जो को पहले बोलने दीजिए, उसको बाद आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का प्रीलिमनरी नोटीफिकेशन 1 मार्च, 1984 को हुआ जिसका क्षेत्रफल 620 वर्ग किलोमीटर था। बाद में इसमें से 90 वर्ग किलोमीटर निकाल लिया गया है और उसे सेंज वाइल्ड लाइफ सैंचुरी के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसके बदले 235 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पार्क में जोड़ दिया गया है। इस प्रकार अभी कुल क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। नेशनल पार्क के अंदर गांवों के रहने का प्रावधान नहीं है।

पार्क के अन्दर केवल दो गांव कुन्दन और माझन पड़ते हैं। दो और गांव शक्ति और मरौर भी नेशनल पार्क की सीमा के अन्दर पड़ते थे परन्तु अब वे सेंज सेंच्युअरी के अन्दर आ गये हैं। सेंच्युअरी के अन्दर गांव के रहने पर टोटल बेन नहीं है इसलिए अब केवल दो ही गांव कुन्दन और माझन के लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। नेशनल पार्क के अन्दर किसी भी प्रकार के अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं रहते इसलिए सर्वप्रथम इस बात का निर्णय फारेस्ट कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा कि कौन-कौन से परम्परागत अधिकार नेशनल पार्क के लोगों को प्राप्त हैं। यह फैसला करने के बाद इन अधिकारों को विधिवत समाप्त कर दिया जाता है और इन अधिकारों की समाप्ति के मुआवजा स्वरूप क्या-क्या राहत या मुआवजा दिया जाये इस पर भी निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

इस प्रकार फारेस्ट कलेक्टर जो कि वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत अधिसूचित किये जाते हैं, निम्नलिखित कार्य लंबित हैं।

1. कुन्दन एवं माझन के ग्रामीणों को अन्यत्र स्थानान्तरित करना।

2. जो अधिकार उन्हें नेशनल पार्क की सीमा के अन्दर प्राप्त था उसका निर्धारण कर उसके बदले उचित मुआवजा दिलाना।

जिन उपरोक्त दो गांवों के जिन लोगों को अन्यत्र बसाना है उसके लिए वैकल्पिक जमीन ग्राम खस्तर एवं न्यूलीएंड पाशी में पहचान कर ली गई है और कुन्दन एवं माझन के कुछ ग्रामीणों के बिना औपचारिक रूप से स्वीकृति मिले वहां जाकर बसना प्रारम्भ कर दिया है। केवल 12 परिवार ही वास्तव में इन दो गांवों में निवास करते हैं, शेष कुछ परिवार ऐसे हैं जो रहते तो नेशनल पार्क की सीमा के बाहर हैं लेकिन जिन्होंने इसके अन्दर जमीनें खरीद रखी हैं। यह जानकारी भी मिली है कि इन्होंने यह जमीनें इस क्षेत्र को नेशनल पार्क के रूप में प्राइमरी नाटिफिकेशन के बाद खरीदी ताकि इन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इन गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए अब तक बीस लाख दस हजार रुपये उपलब्ध करा चुकी है। जैसा हमारे मान्यवर एम०पी० महोदय ने कहा वह सत्य है।

राज्य सरकार अब तक विभिन्न वर्षों में दो करोड़ चालीस लाख रुपये पार्क के विकास पर खर्च कर चुकी

है। ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ष 1991-92 में 29.635 लाख रुपये, 1992-93 में 22.426 लाख रुपये, 1993-94 में 33.797 रुपये, 1994-95 में 65.546 लाख रुपये और 1995-96 में 88.935 लाख रुपये, कुल 240.339 रुपये खर्च कर चुके हैं।

माननीय सांसद श्री महेश्वर सिंह यह मामला पूर्व में सदन में उठा चुके है जैसा कि उन्होंने कहा यह बात सत्य है। तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्री जी के साथ उनकी एक बैठक भी इस पर हुई थी। माननीय सदस्य के द्वारा दो अनुरोध किये गये थे।

1. पार्क का मुख्यालय शाम्सी के बदले सेंज में रखा जाये।

2. नेशनल पार्क की स्थापना से संबंधित होने वाले विभिन्न विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाये। मुख्यालय के संबंध में उन्हें जानकारी दी गई थी कि मुख्यालय को शिफ्त किया जाना पार्क के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। यह डिसकसन में आया था। ....**(व्यवधान)**....

श्री महेश्वर सिंह: नहीं-नहीं, मंत्री जी यह चर्चा में बात आई थी लेकिन उचित नहीं होगा, यह बात नहीं कही गई थी। उन्होंने कहा था कि विचार करेंगे। अब आप स्वयं इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब पार्क का क्षेत्र 85 किलोमीटर दूर है तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा?....**(व्यवधान)**...

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: मैं उस पर आ रहा हूं।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अब बीच में नहीं।...**(व्यवधान)**...

श्री राधाकिशन मालवीय: पाइन्ट आफ आर्डर...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): जवाब हो जाने दीजिए।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: जहां तक विकास कार्यों...**(व्यवधान)**...

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश): पाइन्ट आफ इन्फारमेशन। वेरी इम्पोर्टेंट...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अब बीच में नहीं।

श्री राधाकिशन मालवीय: वेरी इम्पोर्टेंट, इनके डिपार्टमेंट से संबंधित कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग सवा छह-बजे है।

श्री सतीश अग्रवाल: यह मीटिंग पार्लियामेंट एनेक्सी में है। वे मिनिस्टर हैं और ये मेम्बर है।

श्री राधाकिशन मालवीय: मैं मैम्बर हूं और आप मिनिस्टर हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): उनको जाना है इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पहले समाप्त करें।

श्री राधाकिशन मालवीय: क्या यह जवाब सवा छह बजे तक खत्म हो जायेगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपका सहयोग रहेगा तो हो जायेगा।

कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद: जहां तक विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को शामिल किये जाने का प्रश्न है, यह मांग बिल्कुल सही है। ऐसा अनुरोध पूर्व में राज्य सरकार से किया गया था। राज्य सरकार पर पुनः इसके लिए जोर डाला जा सकता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 5.3 मिलियन डालर वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। यह राशि एफ०आर०ई०ई० प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त होने की संभावना है, जो वर्ल्ड बैंक एडिड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए स्टेट इम्पलीमेंटेशन कमेटी ने निर्णय लिया कि फारेस्ट प्रोटेक्शन का काम लोकल अनइम्पलाइड यूथ से ही कान्ट्रेक्ट बेसिस पर करवाया जाये। माननीय सांसद ने यह अनुरोध भी किया था कि उसी क्षेत्र में गोविन्द वल्लभ इको सेंटर की स्थापना भी की जाय जिसका शिलान्यास तत्कालीन मंत्री द्वारा किया गया है। वह सेंज के नजदीक बन रहा है। माननीय सदस्य के अनुरोध पर कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। 40 लाख अभी तक वहा बिल्डिंग पर खर्च हो चुका है। यह बिल्डिंग सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा बनाई जा रही है। जहां तक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वहां जो हैडक्वार्टर की बिल्डिंग सी०पी०डब्लू०डी० द्वारा बन रही है वहां इको सेंटर बिल्डिंग के रूप में, उसको परिवर्तित कर दिया जाये और जहां इन्होंने हैडक्वार्टर के लिए अनुरोध किया है, जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है वह विचारणीय बिन्दु है। हमारे सदस्य का यह कहना सही है, जो जगह ये कह रहे है वह पार्क के नजदीक है। हमारे पास नक्शा मौजूद है, हमने उसमें देखा है और जो जगह चुनी गई है वह कुल्लू के नजदीक है और हिमाचल सरकार का कहना है कि यह कम्यूनिकेशन के लिये है, बहुत उचित है। हैडक्वार्टर रखना प्रदेश की सरकार के अधिकार में आता। में इनकी बात से सहमत हूं कि जो स्थान

नजदीक है, हैडक्वार्टर वहां पर ही होना चाहिये। परन्तु जगह चुनने का अधिकार और हैडक्वार्टर का अधिकार प्रदेश की सरकार का है।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri John F. Fernandes, be brief.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, I have a letter from the hon. Minister on the issues I raised pertaining to my State on the destruction of mangroves. I fully appreciate the stand taken by my hon. colleague, Shri Maheshwar Singh, and I want to say that it is the Government of India which is the main violator because they are not very firm. They have spent about Rs. 2 crores. They have not wasted it. They can get the return provided this park is put to use for the tourists, especially to the international tourists. But, I do not think that there is a will on the part of the Government. Rs. 20 lakhs are given to rehaibilitate only 200 people. So, I do not think that there is any seriousness on the part of the Central Government or the State Government. You cannot just displace the tribals. Similarly, we have a problem in the North East. The tribals there still follow Jhum cultivation. They destroy the forest, they set it on fire and go for cultivation.

Unless you rehabilitate these tribals, the problem cannot be solved. I think the Central Government can take the initiative. It is not enough that we pass a legislation. We have the Forest and Environment Protection Act. Unless the Government is serious about protecting the environment, nothing much can be done. I think, here, the non-governmental organisations are more serious than the Government. This was my purpose in supporting the issue raised by my hon. colleague.

Sir, we have similar problems even in a small State like Goa. The other day I raised it. Next to a bird sanctuary, the mangroves have been destroyed by the State political leadership. They have sold prime property to the real estate touts. The hon. Minister replies to me. The bogus reply given by the State Government is just repeated. I suppose I am entitled to raise a breach of privilege question. I am asking for an independent machinery to enquire into it. But the hon. Minister is just passing on the reply given by the State Government.

What I demanded in my earlier submission was that a Central team should go there. The Standing Committee on Environment and Forests should go there and investigate. How can the State Government mislead a Central Ministry? How can they mislead Parliament? I hope the hon. Minister would take things very seriously, as far as environment is concerned. Thank you, Sir.

श्री शिव चरण सिंह (राजस्थान): माननीय महेश्वर सिंह जी ने जो सुझाव वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी के बारे में दिए हैं तो यह केवल कुल्लू सेंक्चुरी से ताल्लुक नहीं रखते बल्कि देश भर में जितनी भी वाइल्ड लाइफि सेंक्चुरीज हैं उन सब की दशा खराब है। हमारे राजस्थान में तीन वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज है अलवर, सवाई माधोपुरी और केलादेवी। इन तीनों की दशा इतनी दयनीय है मैं वहीं का रहने वाला हूं। भारत सरकार का फोरेस्ट डिपार्टमेंट और वर्ल्ड बैंक ने काफी रुपया दिया है। लिकिन इनके मेंटिनेंस के बारे में जो दशा है, इसका मानेटरिंग जब तक भारत सरकर नहीं करेगी तब तक इनकी दशा नहीं सुधरेगी। क्योंकि फोरेस्ट के साथ जुड़े हुए कई मामले हैं फोरेस्ट में माइंस होती है। अलवर में इल्लीगल माईस चल रही थी। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तब वह माइन बंद हुई, फास्फेट सेंक्चुरी में। इसी तरह मेरे जिले सवाई माधो पुरी में जो वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी है वहां पर इस साल टाइगर मारे जा रहे हैं। केला को भी एक नई सेंक्चुअरी डिक्लियर की है.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इतना जनरल मत ले जाइए।

श्री शिव चरण सिंह: मान्यवर यह जनरल क्वेश्चन है सेंक्चुरीज के बारे में है। कुल्लू सेंक्चुरी और अन्य सेंक्चुरीज के बारे में आपको ...(व्यवधान)...

तो मेरा यह निवेदन है कि जितनी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरीज हैं देश की, चाहे वह गोवा की हों, चाहे राजस्थान की हों और चाहे कुल्लू की हो चाहे कहीं की

हों, उनके बारे में एक नीति निर्धारित करनी चाहिए और उसका मानेटरिंग भारत सरकार के फारेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वह आपके अधीन है, उनके अधीन जो स्टेट वाइल्ड लाइफ का वार्डन है वह है। आप मानेटरिंग क्यों नहीं करते? उन्होंने प्रीसिडेंट रखा कि जहां के गांव हटाए जायें उनको वहां इम्पलाइमेंट देना चाहिए। आप शिमला के लोगों को नौकरी देंगे और वहां के लोगों को रीहैवलीटेट नहीं करेंगे? तो कुछ प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। आपने केवल एक आदमी को नौकरी दी 27 में से। अगर 27 आदमियों को आप वहां नौकरी दे देते तो वहां के कुछ लोग तो रीहैवलीटेट होते। इसलिए आपको कोई ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए जिससे गांव हटाते समय वहां के लोगों को इम्पलाईमेंट मिले। गांव हटाए जायें तो उनको रीहैवलीटेशन का मुआवजा इतना मिले कि वह आसानी से चले जायें। कई कारण हैं जिनकी वजह से यह वाइल्ड लाइफ का मामला पिछले 25 सालों से लटका हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मंत्री महोदय ने वैसे तो बड़ा विस्तृत उत्तर देने की कोशिश की है लेकिन मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि विभाग ने आपको सही तथ्य नहीं दिए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सारे सथ्य आपको तोड़-मरोड़ कर दिए हैं। अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मंत्री जी आप पुनः बैठक बुलाइए। मैं विस्तार से आपके ध्यान में सारी बाते लाना चाहूंगा क्योंकि 2 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करने की बात है, एकालाजीकल अवयरनेश के लिए गांवों में सड़कें और जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की बात आई थी। लेकिन उस पैसे का, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि दुरूपयोग हुआ है। आप वहां ठेके पर काम देंगे। अगर ठेके पर काम देंगे तो स्थानीय लोग कहां काम करेंगे? ठेकेदार तो बाहर से लेबर लाता है और उनसे काम करवाता है। इससे बहां के लोगों को लेबर और सुपरवाइजर का काम भी नहीं मिलेगा। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): एकोलाजीकल अवेयरनेस के लिए आपके क्या सजेशंस हैं?

श्री महेश्वर सिंह: एकोलाजीकल अवेयरनेस के लिए बहां पर कैम्प लगाए गए हैं। बहां के लोगों के बाहर कैम्पों में ले जाया गया। लेकिन जो प्रभावित लोग हैं वे उसमें नहीं गए। मैं आपको सूची दे सकता हूं। जो इम्पलाईमेंट दी गई वह वहां पर किसी लोकल आदमी को नहीं दी गई आप कहते हैं कि आपका इसमें कोई अधिकार ही नहीं है। महोदय, जब सारा का सारा पैसा यहां से जाना है, हिमाचल सरकार की उसमें फूटी कौड़ी नहीं लगनी है तो आपका यह अधिकार रहना चाहिए। नहीं तो वह सारा पैसा समाप्त कर देंगे और सच पूछो तो सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि पार्क न बने। इसमें अब उन्होंने पार्वती वैली का एरिया डाल दिया है। आप कहते हैं दो गांव वही रहेंगे **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Don't repeat.

श्री महेश्वर सिंह: एक मिनट। दो गांव वहीं रहेंगे तो वह खायेंगे क्या? क्योंकि चारों तरफ जंगली जानवर हैं, बीच में है, गुज़ारा कैसे करेंगे? क्या आप मीटिंग बुलायेंगे और उसमें वहां के जो हिमाचल प्रदेश के अधिकारी हैं उनको बुलाने की कृपा करेंगे? पिछले मंत्री ने भी मीटिंग बुलाई थी और हमें आश्वासन भी दिया था कि 15 दिन में कुल्लु जायेंगे, हेलीकाप्टर की व्यवस्था भी हो गई लेकिन अन्तिम क्षणों में मीटिंग कैंसिल कर दी। खैर वह तो चले गये लेकिन क्या आप ऐसी मीटिंग रखेंगे या वहां जा कर प्रवास करेंगे ताकि सारी वस्तुस्थिति आपके सामने आए।

कैएन जय नारायण प्रसाद निषाद: सर, जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको संरक्षण करना राज्य सरकारों की जवाबदेही है। हम केवल आर्थिक मदद करते हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों से सहमत हूं निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि मीटिंग बुलाएं और हम लोग बैठ कर के कोई समाधान निकालें।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: ठीक है **(व्यवधान)**

श्री महेश्वर सिंह: महोदय ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपका जो सवाल था बैठक बुलाने का वह हो गया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-one minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 11th September 1996.